

अध्याय IV: विद्युत मंत्रालय

दामोदर वैली कार्पोरेशन

4.1 मीटिंग एवं बिलिंग

4.1.1 प्रस्तावना

दामोदर वैली कार्पोरेशन (कार्पोरेशन), डीवीसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोर सेक्टर जैसे ट्रैक्शन (रेलवे) इस्पात, कोयला और दामोदर घाटी क्षेत्र के भीतर विभिन्न स्थानों पर 33, 132 तथा 220 किलो-वोल्ट (केवी) की अन्य लोड श्रेणियों में तथा संबंधित राज्य सरकारों की अनुमति से घाटी क्षेत्रों के अलावा भी कुछ स्थानों पर अपने उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करता है। कार्पोरेशन का ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क झारखण्ड राज्य के सात जिलों में और पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में फैला है। 31 मार्च 2014 तक कार्पोरेशन के पास 283^{*} उच्च क्षमता (एचटी) उपभोक्ताओं के साथ 3156.195 मेगा वोल्ट एम्पियर्स (एमवीए) ठेका मांग थी जो 41 उप-स्टेशनों और तीन वोल्टेज स्तरों अर्थात् 220/33 केवी (73 उपभोक्ता), 132/33 केवी (208 उपभोक्ता) और 132/25 केवी (दो उपभोक्ता) से सचित हो रहे थे। एचटी उपभोक्ताओं के अलावा, निगम के ऊर्जा संयंत्र के आसपास बनी इसकी कालोनियों के निम्न क्षमता (एलटी) बुनियादी ढाँचे में भी बिजली की खपत होती हैं।

4.1.2 लेखापरीक्षा कार्ययोजना

4.1.2.1 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

1999-2000 से 2002-03 की अवधि को शामिल करते हुए “ऊर्जा प्रभारों के मीटिंग, बिलिंग और संग्रहण” पर एक समीक्षा की गई थी और डीवीसी, 1948 के नियम 31 के अनुसार वर्ष 2002-03 के निगम के वार्षिक रिपोर्ट में इसे शामिल किया गया था। उपरोक्त रिपोर्ट में लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे थे:

- आधुनिक मीटिंग प्रणाली के कार्यान्वयन में देरी।

* 31.03.2014 तक उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध में निगम के विभिन्न डिवीजनों/अनुभागों द्वारा दिए गए ऑकड़े अलग-अलग थे। हमने व्यापक दृष्टिकोण पर 283 उपभोक्ताओं (निगम के वाणिज्यिक अनुभाग द्वारा प्रस्तुत) को लिया।

- अनुचित डेटर्स अनुपात।
- खराब मीटरों के सुधार हेतु समय-सीमा का अभाव।

इन मुद्दों पर की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) अभी तक नहीं प्राप्त हुई (अक्टूबर 2014)। इसी बीच विद्युत उत्पादन क्षमता, उपभोक्ताओं की संख्या और विद्युत की बिक्री में अत्यधिक वृद्धि हुई। निगम ने आधुनिकीकृत मीटरिंग प्रणाली का कार्यान्वयन भी शुरू किया था जैसे- मौजूदा 0.2 सटीक वर्ग मीटरों को उन्नत करके या बदल कर रिमोट स्वचालित मीटर रीडिंग (आरएएमआर) तथा प्रणाली ऊर्जा मापन लेखांकन तथा लेखापरीक्षण (एसईएमए) का स्थापन/कार्यान्वयन/इन विकासों के बैकअप में, निगम की मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई थी जिसमें तीन वर्षों (2011-12 से 2013-14) की अवधि शामिल थी।

4.1.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए था कि क्या:

- निगम द्वारा आपूर्ति की गई बिजली के उपभोक्ताओं के लिए एक उपयुक्त मीटरिंग प्रणाली थी और यह प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी।
- निगम वितरण हानि की बिलिंग और निगरानी में दक्षता प्राप्त करने हेतु एक समय-सीमा आधार पर माँग के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक राजस्व सुरक्षा प्रणाली लगाने/बनाने में समर्थ रहा।
- उपभोक्ताओं से बकाया संग्रहण पर्याप्त और प्रभावी था।

4.1.2.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निम्नलिखित लेखापरीक्षा मापदण्ड अपनाए गए थे:

- विद्युत अधिनियम, 2003;
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की अधिसूचना;
- निगम के आंतरिक आदेश/परिपत्र; और
- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के टैरिफ आदेश/अधिसूचनाएँ।

4.1.2.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा ने निगम के विभिन्न विभागों में अनुरक्षित अभिलेखों की जाँच की। इसके अलावा लेखापरीक्षा ने ग्रिड संचालन और अनुरक्षण प्रभागों (जीओएमडीज़) के अंतर्गत 41

उप-स्टेशनों में से नौ (22 प्रतिशत) के अभिलेखों का नमूना जाँच भी किया। 9 उप-स्टेशनों में से 7 में निजी उपभोक्ता प्रभावी थे जबकि बाकी 2 उप-स्टेशनों में पीएसयू उपभोक्ता प्रभावी थे।

4.1.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निगम के सभी उच्च क्षमता वाले उपभोक्ताओं पर 1952 से मीटर लगाए जा रहे थे। 31 मार्च 2014 तक, सफ्रिय ठेका मॉग (सीडी) के साथ 283 एचटी विद्युत उपभोक्ता थे। एचटी उपभोक्ताओं के सभी टैरिफ मीटर 0.2S* स्टीकता वाले थे जैसा कि सीईए विनियम, 2006 में विनिर्दिष्ट था। इसके अलावा, निगम के पास अपनी कालोनियों में निम्न क्षमता (एलटी) उपभोक्ता (कर्मचारी, बाहरी और वाणिज्यिक स्थापना) थे। निगम के एलटी उपभोक्ता इसके ऊर्जा संयंत्र के पास बीन कालोनियों में स्थित हैं और अधिकांश ने मीटर नहीं लगवाया था।

4.1.3.1 आधुनिकीकृत मीटरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन में अनुत्पादक निवेश

निगम उच्च टी एण्ड डी हानियों से अवगत था (2000) और ऊर्जा लेखापरीक्षा हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम करने का निर्णय लिया। इसी बीच सीईए ने सभी स्थानों पर सिस्टम एनर्जी लेखांकन और लेखापरीक्षा (एसईएमए) मीटर लगाना अधिसूचित किया (2006)।

(क) प्रणाली ऊर्जा मापन (लेखांकन एवं लेखापरीक्षा) - सेमा

निगम के 33केवी और 415वी स्तर के वितरण नेटवर्क पर ऊर्जा लेखांकन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु सेमा (चरण-I) के स्थापन हेतु कार्य दिसम्बर 2009 तक की निधारित समाप्ति के साथ ₹ 6.38 करोड़ की लागत पर दिया गया (दिसम्बर 2007)। हालांकि, कार्य 41 महीनों की दैरी से मई 2013 में पूरा हुआ था। निगम ने माना (जनवरी 2015) कि दैरी का मुख्य कारण इसके कार्य के भाग का निष्पादन था। हालांकि, निगम की ऊर्जा प्रणाली के 132केवी एवं 220केवी स्तर की सेमा (चरण-II) योजना का कार्यान्वयन लंबित था (मार्च 2014)।

जून से दिसम्बर 2013 तक की अवधि के लिए लगभग 15 से 47 उपभोक्ताओं हेतु सेवा प्रणाली (चरण-I) द्वारा जुटाए गए आंकड़े से यह देखा गया कि सेमा ऊर्जा और उपभोक्ता ऊर्जा के बीच (-) 1 प्रतिशत से (+) 6.14 प्रतिशत तक का अंतर था। निगम ने बताया

* 0.25 वर्ग स्टीकता मीटर की स्टीकता +/- 0.2 प्रतिशत है जबकि मीटर की स्टीकता 120 प्रतिशत की प्रवाह दर के भीतर और >5 प्रतिशत के बींड के भीतर हो (अधिकतम प्रवाह जो कंपानेंट सर्किट आदि को जुकसान पहुँचाए बिना विनिर्दिष्ट दशा के अंतर्गत लगातार प्रयोग किया जा सके)।

(नवम्बर 2014) कि दर्शाया गया अंतर मैनुअली डाटा फ़िड करने (सॉफ्टवेयर के बिना) के कारण अपर्याप्त सटीकता, सम्प्रेषण नेटवर्क के त्रुटिपूर्ण कार्य चालन, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल (जीएसएम) टेक्नोलॉजी में सहायक उपकरणों के बाहर होने के कारण संपर्क दूटने, ऊर्जा के सहायक कालोनी खपत की गैर-उपलब्धता और सेमा प्रणाली के अंतर्गत नए उपभोक्ताओं को शामिल न करने के कारण था। यह भी बताया गया कि फरवरी 2014 के बाद से ऊर्जा लेखांकन अध्ययन नहीं किया जा रहा था।

आगे यह भी देखा गया कि टी एण्ड डी हानियों में 2011-12 में 3.91 प्रतिशत से 2013-14 में 4.30 प्रतिशत तक की बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई। अभिलेखों से पता चला कि झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) ने 2012-13 के अपने अस्थायी आदेश में निगम हेतु तीन प्रतिशत की टी एण्ड डी हानि की मंजूरी दे दी। चयनित उपस्टेशनों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि ₹ 2.66 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के साथ 2013-14 के दौरान (अर्थात् सेमा के कार्यान्वयन के बाद) 6.32 एमयू टी एण्ड डी हानि (तीन प्रतिशत के बावजूद) हुई। इस हानि को निगम द्वारा रोका जा सकता था, यदि इसने यह सुनिश्चित किया होता कि सेमा ठीक से कार्य कर रहा था। इस प्रकार मूल उद्देश्य जिसके लिए परियोजना शुरू की गई थी, नहीं पूरा हुआ और ₹ 6.38 करोड़ का निवेश बेकार गया।

निगम का तर्क (जनवरी 2015) कि टी एण्ड डी हानि की बढ़ती प्रवृत्ति कुछ उपभोक्ताओं के सीडी में वृद्धि और जेएसईबी द्वारा अधिक ऊर्जा लेने के कारण था, स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि उपभोक्ताओं ने अपनी सीडीज़ से अधिक बिजली ली थी जिसे सेमा के कार्यान्वयन द्वारा रोका जा सकता था।

(ख) मोबाइल संप्रेषण मीटिंग (जीएसएम) हेतु ग्लोबल प्रणाली

रिमोट मीटिंग के माध्यम से सटीक और तीव्र बिलिंग हेतु राजस्व सुरक्षा प्रणाली लागू करने और इसके द्वारा नकद प्रवाह चक्र में सुधार करने के साथ प्रबंधन चक्र को देखते हुए निगम ने जीएसएम मीटिंग प्रणाली शुरू की (सितम्बर 2007)। जीएसएम मीटिंग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य महीने की पहली तारीख को उपभोक्ता को बिल जारी करना तथा बिलिंग चक्र को कम करना था। प्रणाली का अन्य उद्देश्य उपभोक्ता की लोडिंग प्रवृत्ति, छेड़छाड़ की घटनाएँ, यदि कोई हो तो, की निगरानी के साथ-साथ हानि संभावना प्रणाली अवयवों की पहचान करना था सेमा हेतु बुनियादी ढाँचा तैयार करना था। कुल 283 उपभोक्ताओं में से 250 उपभक्ताओं के संबंध में विभिन्न स्थलों पर जीएसएम संपर्क स्थापित करने तथा उसे चालू करने के साथ रिमोट स्वचालित मीटर रीडिंग प्रणाली (आरएएमआर) को पूरा करना था (मार्च 2014)।

हालांकि लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बिन्दु देखा:

- (i) आरएएमआर के कार्यान्वयन के बावजूद भी 92 ऐसी घटनायें थीं जहाँ निगम ने महीने की पहली तरीख को सटीक उपभोक्ता बिलों की माँग नहीं की और 1 से 9 महीनों की देरी के साथ ₹ 12.51 करोड़ के ऊर्जा समायोजन बिल की माँग की। ऐसी देरी का मुख्य कारण उपस्टेशनों की रीडिंग के साथ आरएएमआर की रीडिंग का मिलान न करना था जिसके कारण या तो खराब मीटर अथवा जीएसएम प्रणाली के सहायक उपकरणों का न होना था।
- (ii) कई उपभोक्ता अपनी ठेका माँग (सीडी) से अधिक बिजली ले रहे थे। जून 2011 से मार्च 2014 तक प्रत्येक माह के उपभोक्ताओं के संबंध में बिजली लेने की 9094 घटनाओं में से 2558 घटनायें (9094 घटनाओं का 28 प्रतिशत) में अधिक बिजली ली गई थी। 2558 घटनाओं में से 473 घटनाओं में उपभोक्ता अपनी सीडी से 100 से 28901 प्रतिशत तक बिजली ली थी। यद्यपि पूर्वी क्षेत्र लोड वितरण केंद्र (ईआरएलडीसी) ने बिजली अधिक लेने की घटनाओं पर निगम को चेतावनी दी थी, जीएसएम लागू होने के बाद भी यह लगातार जारी रहा। इसमें 2011-12 में 1711388 केवीए से 2013-14 में 7533718 केवीए तक अत्यधिक वृद्धि हुई।

निगम ने माना (जनवरी 2015) कि जीएसएम प्रणाली की निगरानी और अनुरक्षण करके इसमें सुधार किया जा सकता था।

4.1.3.2 अनुचित डेटर्स के अनुपात के कारण चालू पूँजीगत ऋण में वृद्धि

विद्युत अधिनियम 2003 (10 जून 2003) से प्रभावी लागू होने से पूर्व निगम डीवीसी अधिनियम, 1948 की धारा 20 के तहत अपना टैरिफ निर्धारित हेतु प्राधिकृत था। हालांकि निगम ने अपने उपभोक्ताओं को अपने निर्धारित टैरिफ दर पर बिल लगाना जारी रखा और समय पर टैरिफ निर्धारित करने हेतु सीईआरसी से संपर्क नहीं किया। सीईआरसी ने स्व-विवेक के आधार पर कार्रवाई करते हुए मार्च 2006 तक दो वर्षों की संक्रमण अवधि अनुमत करते हुए 2006-2009 की अवधि हेतु प्रभावी दर निर्धारित किया। निगम ने इसे नहीं माना और कानूनी सहारा लिया। उपभोक्ताओं को निगम के अपने टैरिफ दर पर बिल देना जारी रहा। इसी बीच, 2009-14 हेतु सीईआरसी का टैरिफ आदेश पहले ही जारी कर दिया गया था जिसे निगम ने मान लिया था और तदनुसार उपभोक्ताओं को बिल जारी किया गया। हालांकि 2006-09 और 2009-14 के लिए लागू टैरिफ के संबंध में बकाया उपभोक्ता का मिलान लंबित था (मार्च 2014)। इसने उपभोक्ताओं से पुराने बकाए की वसूली को प्रभावित किया। बिजली प्रभारों जैसे- बिक्री,

औसत संग्रहण अवधि और 31 मार्च 2014 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए निगम की बुक, डेट की स्थिति निम्नलिखित है:

वर्ष	बिक्री (₹ करोड़ में)	डेट्स (₹ करोड़ में)	डेट्स बिक्री की प्रतिशतता	औसत संग्रहण अवधि (माह में)	वर्तमान परिसंपत्तियां (₹ करोड़ में)	डेट्स से वर्तमान परिसंपत्तियों की प्रतिशतता
2011-12	7,067.40	5,318.21 ¹	75.25	7.80	8,108.44	65.59
2012-13	10,603.87	6,538.03 ²	61.66	6.80	11,297.77	57.87
2013-14	11,672.08	8,605.02	73.72	7.89	13,486.91	63.80

इस प्रकार 31 मार्च 2014 को तीन वर्षों से अधिक बकाया ₹ 3260.57 करोड़ पहुँच गया जो ₹ 8605.02 करोड़ के कुल ऋणकर्ताओं का 38 प्रतिशत था। उच्च राजस्व संग्रहण अवधि से जुड़े बकाये के परिणामस्वरूप निगम के चालू परिसंपत्ति ऋण में वृद्धि हुई जिसके कारण ब्याज बढ़ा। अभिलेखों से पता चला कि 2011-12 में ₹ 1602 करोड़ का अल्पावधि ऋण 2013-14 में ₹ 3,349 करोड़ पहुँच गई और निगम को 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 577.79 करोड़ का ब्याज भरना पड़ा जिसके बदले में प्रति मेगावाट बिजली* की अल्पावधि ऋण लागत बढ़ गई।

निगम ने अपने उत्तर (जनवरी 2015) में मुख्य रूप से अभियोग वाले ऋणकर्ताओं की गणना की। हालांकि, उन्होंने 2006-09 की अवधि हेतु सीईआरसी टैरिफ न लागू करने और 2006-09 के साथ-साथ 2009-14 के लिए सीईआरसी द्वारा टैरिफ निर्धारित करने के पश्चात ऋण के गैर-मिलान पर कुछ नहीं कहा।

4.1.3.3 ईंधन मूल्य समायोजन बिल की माँग करने में देरी

मूल ईंधन लागत वाले ऊर्जा प्रभारों हेतु ईंधन लागत समायोजन (एफपीए), यदि कोई हो तो उसके साथ उपभोक्ताओं से मासिक बिल की माँग की जानी चाहिए।

यह देखा गया कि 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान निगम ने ₹ 178.92 करोड़ राशि एफपीए बिल जारी करने में देरी की। नमूना जाँच में एक से इस माह तक की देरी

¹ ₹ 919.82 करोड़ की बिना बिल वाली राशि को छोड़कर।

² ₹ 1,103.87 करोड़ की बिना बिल वाली राशि को छोड़कर।

* अल्पावधि ऋण ब्याज की लागत: 2011-12 में ₹ 50/मे.वा., 2012-13 में ₹ 80/मे.वा. और 2013-14 में ₹ 100/मे.वा.

का पता चला। ऐसी देरी का मुख्य कारण निगम के थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस) द्वारा देरी से ईंधन आंकड़ा प्रस्तुत करना था। इसके कारण उपभोक्ताओं से समायोजन की वसूली में देरी हुई। जिसे रोका जा सकता था, यदि समय पर एफपीए बिल माँग करने हेतु एक उपयुक्त तंत्र और/या सूचना प्रणाली होती।

निगम ने टीपीपीज़ से मासिक कोयला मूल्यों की गैर प्राप्ति हेतु और कोयला खपत हेतु निष्पादन प्रोत्साहन (पीआई) मूल्य की उपलब्धता केवल वर्ष की समाप्ति पर एफपीए की माँग करने में देरी की परिकल्पना की (जनवरी 2015)। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि कोयल की खपत से संबंधित टीपीएस से सूचना का प्रवाह एफपीए बिलों की समय पर माँग करने हेतु व्यवस्थित करना तथा मजबूत करना संभवा हो सकता है। इसके अतिरिक्त ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) जिससे निगम अच्छी तरह से परिचित था, के आधार पर वार्षिक ठेकागत मात्रा (एसीक्यू) मानने के पश्चात कोयला खपत के पीआई के उचित निर्धारण की संभावना थी।

4.1.3.4 गलत मीटर रीडिंग (एचटी)

निगम ने एचटी उपभोक्ताओं के साथ बिजली खरीद करार (पीपीए) के अनुसार बिजली खपत निर्धारण और उसका बिल बनाने हेतु दो मीटर (एम1 और एम2) और एक जाँच मीटर लगाया था। मीटरों के ठीक से कार्यचालन और स्टीक बिलिंग सुनिश्चित करने हेतु एम1 तथा एम2 दोनों मीटरों को नियमित रूप से लिया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि चयनित उप-स्टेशनों के 155 एचटी उपभोक्ताओं में से 106 उपभोक्ताओं की एम2 मीटर रीडिंग ही नहीं ली गई। इसके अतिरिक्त 29 उपभोक्ताओं जिनका एम1 और एम2 मीटर रीडिंग दोनों नियमित रूप से ली गई थी, के संबंध में जाँच से पता चला कि एम2 मीटर रीडिंग की तुलना में मीटर रीडिंग के विचलन (नकारात्मक व सकारात्मक) दोनों के संबंध में एम1 मीटर की रीडिंग से उनके बिजली खपत की बिलिंग की गई थी। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में उपरोक्त मीटर रीडिंग का विचलन मीटर की सटीकता श्रेणी से बहुत अधिक था। ऐसे विचलन का कोई विश्लेषण अभिलेख में नहीं पाया गया था। इसके अतिरिक्त, निगम ने उप-स्टेशनों हेतु यह कारण स्पष्ट नहीं किया कि क्यों दोनों मीटरों की रीडिंग नहीं ली गई थी।

निगम ने बताया (जनवरी 2015) कि एम1 और एम2 मीटर रीडिंग के बीच 0.4 प्रतिशत से अधिक अंतर के मामले में निगम औसत आधार पर बिल की माँग की और एम1 मीटर में 0.4 प्रतिशत से अधिक अंतर के मामले में मीटर रीडिंग जाँच, अंवेषण और सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी। उत्तर में लेखापरीक्षा आपत्ति पर नहीं कहा गया जो एम1

और एम2 मीटरों की रिड गलत रीडिंग और इसके उचित कार्यचालन की गैर निगरानी पर था।

4.1.3.5 खराब मीटरों के सुधार में समय सीमा न अपनाना

सीईए विनियम, 2006 के अनुसार, यदि मीटर खराब पाया गया और त्रुटि, संबंधित मानक में अनुमत सीमा से परे हो तो उसकी जगह तुरन्त दूसरा मीटर लगाया जाना चाहिए। इस संबंध में निगम ने कोई समय सीमा नहीं निर्धारित किया। लेखापरीक्षा द्वारा ली गई अवधि के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा की गई 61 शिकायतों में से 55 मामलों में मीटर बदलने की आवश्यकता थी। खराब मीटरों को जिसे सीईए विनियमों के अनुसार सभी मामलों में तुरन्त बदल जाना था, 32 मामलों में एक से 12 सप्ताह का समय लिया गया (अनुबंध-XVIII)। यह भी देखा गया कि अपेक्षित मीटर बदलने हेतु मासिक स्टॉक स्थिति पर्याप्त थी।

निगम ने बताया (जनवरी 2015) कि 70 प्रतिशत मामलों में खराब मीटर 11 दिनों की समय-सीमा में ही बदल दिए गए थे। यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खराब मीटरों को सटीक रीडिंग और बिजली बिल जारी करने हेतु विनियमों के अनुसार तत्काल बदला जाना था। यह तर्क कि खराब मीटरों को 2 सप्ताह के भीतर बदलने की कार्रवाई की जा रही थी, सीईए विनियमों के अनुरूप नहीं था इसलिए स्वीकार्य नहीं है।

4.1.3.6 डिस्कनेक्शन एवं री-कनेक्शन प्रभारों की गैर-वसूली

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (भुगतान विफलता में आपूर्ति काटना) के अनुसार, निगम एक चूककर्ता उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति रोक देने का हकदार था जब तक कि ऐसे प्रभार एवं अन्य राशि सहित इसकी आपूर्ति रोकने एवं आपूर्ति के पुनर्बहाल करने पर किए गए किसी व्यय का भुगतान नहीं कर दिया जाता। लेखापरीक्षा द्वारा ली गई अवधि के दौरान डिस्कनेक्शन के 110 मामले थे जिसमें से 89 मामलों में लाइन दुबारा जोड़ी गई थी। डिस्कनेक्शन और रीकनेक्शन के बहुत से मामलों में निगम ने सिंगल सर्किट (एस/सी) फीडर और डबल सर्किट (डी/सी) फीडर से उपभोक्ताओं के डिस्कनेक्शन और रीकनेक्शन के लिए क्रमशः ₹ 4.55 लाख और ₹ 8.51 लाख का अनुमान लगाया था (सितम्बर 2011)। लेखापरीक्षा के तहत ली गई अवधि के दौरान निगम ने डिस्कनेक्शन और रीकनेक्शन पर कुल ₹ 4.33 करोड़ का व्यय किया था, जिसकी वसूली नहीं की गई थी।

निगम का मानना (जनवरी 2015) कि जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता विनियम, 2005 में कोई डिस्कनेक्शन और रीकनेक्शन प्रभार नहीं है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसके अलावा ऐसे प्रभारों की वसूली हेतु डब्ल्यूएसईआरसी विद्युत आपूर्ति संहिता में कोई प्रतिबंध नहीं था। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अनुसार भी निगम उपभोक्ताओं से डिस्कनेक्शन और रीकनेक्शन प्रभारों की वसूली का हकदार था और इसकी गैर-वसूली से ऐसे उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ दिया गया।

4.1.3.7 एलटी उपभोक्ताओं को मीटर न लगाने के कारण राजस्व की हानि

निगम एलटी इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी आवासीय कालोनियों, आवासों में रहने वाले बाहरी एजेंसियों के कर्मचारियों, अपने कार्यालयों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक व्यवस्थाओं, वाणिज्यिक स्थापनाओं, दुकानों आदि को बिजली की आपूर्ति करता है। निगम के छ: क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् बीटीपीएस, सीटीपीएस, डीटीपीएस, एमटीपीएस*, मैथल एवं पंचायत के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निवासियों (कर्मचारियों सहित) बिजली लेने पर प्रतिबंध लगाने का न तो कोई तंत्र था और न ही आवासीय क्वार्टरों हेतु व्यक्तियों द्वारा खपत की गई बिजली को मापने हेतु कोई कार्यात्मक मीटरिंग व्यवस्था की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा ली गई अवधि के दौरान वास्तविक बिजली खपत के आधार पर कर्मचारियों को न तो बिल जारी किया गया और न ही प्रभारों की वसूली की गई। उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों के वेतन बिलों से उनके ग्रेड पे के आधार पर ₹ 7/10/15/20 प्रति कर्मचारी प्रतिमाह का मामूली शुल्क की वसूली की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा शामिल की गई अवधि के दौरान सभी छ: इकाईयों के कर्मचारियों से संग्रहीत कुल राशि ₹ 9,69,937/- थी। ऐसे संग्रहण निगम द्वारा एक दशक पहले निर्धारित किए गए स्थायी दरों के आधार पर थे और अस्थायी दरों को अंतिम दरों के रूप में नहीं बदला गया था (अक्टूबर 2014)। यद्यपि विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों हेतु मुफ्त बिजली यूनिट मार्च 2009 में ही सीलिंग दर निर्धारित किया गया था लेकिन किसी मीटरिंग प्रणाली के अभाव में सीलिंग का अनुपालन नहीं किया जा सका। जुलाई 2012 के दौरान एमटीपीएस में निगम द्वारा किए गए मूल्यांकन से पता चला कि निगम के क्वार्टरों में रहने वाले पूर्व-कर्मचारियों की यूनिट का 590 वाट से 9560 वाट का लोड का मूल्यांकन किया गया था। सभी इकाईयों के क्वार्टर में रहे बाहरी लोगों ने या तो लोड निर्धारण आधार पर अथवा निर्धारित प्रभार/यूनिटों हेतु निर्धारित प्राभारों के आधार पर भुगतान किया। कुछ वाणिज्यिक स्थापनायें जैसे- बैंक, एटीएम आदि में मीटर लगाए गए

* बीटीपीएस = बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, सीटीपीएस = चन्दपुरा थर्मल पावर स्टेशन,
डीटीपीएस = दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन और एमटीपीएस = मेजा थर्मल पावर स्टेशन।

थे किन्तु अधिकांश वाणिज्यिक स्थापनाओं (दुकानों सहित) को नियत आधार पर बिल जारी किए गए थे जो वास्तविक खपत के आधार पर नहीं था। निगम ने वाणिज्यिक स्थापनाओं को लोड निर्धारण के आधार पर बिल जारी करने के लिए लोड निर्धारण शुरू किया (2011) जो मैथन के दुकानदारों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने इसे गैर-सैद्धांतिक माना और मीटर लगाने की माँग की। वाणिज्यिक दुकानों में मीटर केवल बीटीपीएस में लगाया गया था (2012)। परिणामस्वरूप, निगम के लिए 2011-12 की तुलना में 2013-14 की बिलिंग और वसूली 498 प्रतिशत तक बढ़ गई। बिजली की वास्तविक खपत सुनिश्चित करने के लिए एलटी उपभोक्ताओं के परिसरों में मीटर न लगाने के कारण लेखापरीक्षा में ली गई अवधि के दौरान बिजली प्रभारों के प्रति निगम ₹ 142.72 करोड़ की वसूली नहीं कर पाया (अनुबंध-XIX)।

लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए निगम ने बताया (जनवरी 2015) कि बिजली मीटर लगाने के पश्चात वास्तविक बिजली खपत के अनुसार एलटी उपभोक्ताओं पर बिलिंग शुरू की जाएगी।

निष्कर्ष

2003 में निगम की लेखापरीक्षा द्वारा की गई समीक्षा में बताई गई अधिकांश खामियाँ लगातार थीं। आधुनिकीकृत मीटरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन अर्थात् सेमा और जीएसएम के लिए निगम द्वारा किया गया निवेश अभी भी अनुत्पादक और अप्रभावी रहा जिसके कारण उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। निगम ने विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ याचिका की समय-सीमा का पालन नहीं किया जो उपभोक्ताओं से बकाया बड़ी राशि के कारणों में से एक था। एम1 और एम2 दोनों मीटरों की नियमित रूप से जाँच नहीं की गई थी और खराब मीटरों को बदलने में अनावश्यक रूप से देरी हुई थी। निगम ने विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत अनुमत अपने उपभोक्ताओं से डिस्कनेक्शन और रीकनेक्शन प्रभारों का संग्रहण नहीं किया तथा अधिकांश एलटी उपभोक्ताओं के संबंध में मीटर भी नहीं लगाया। एलटी उपभोक्ताओं के परिसरों में मीटर न लगाने से निगम बिजली की वास्तविक खपत सुनिश्चित नहीं पाया जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में ली गई अवधि के दौरान निगम बिजली प्रभारों के प्रति ₹ 142.72 करोड़ की वसूली नहीं कर सका।

मामले को जनवरी 2015 में मंत्रालय को बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

4.2 इंजन अवरोधन प्रभारों की वसूली की हानि

उपर्युक्त ठेकागत प्रावधान के अभाव में ठेकेदार के कम निष्पादन के कारण निगम को इंजन अवरोधन प्रभारों के माध्यम से भुगतान किए ₹ 24.25 करोड़ की वसूली की संभावना की हानि हो गई थी।

दामोदर वैली निगम (निगम) का मेजा थर्मल पावर स्टेशन (एमटीपीएस) रेल वैगनों के माध्यम से थोक मात्रा में कोयला प्राप्त करता है। रेल प्राधिकरण विनिर्दिष्ट निर्धारित समय-सीमा के बाद रैकों की अनलोडिंग में देरी के लिए विलम्ब शुल्क वसूल करता है। इसके अतिरिक्त, इंजन अवरोधन प्रभार (ईडीसी) भी वसूला जाता है यदि अनलोडिंग में ऐसी देरी के लिए रेल इंजनों को रोका जाता है। चूंकि एमटीपीएस के पास अपना लोको नहीं है, इसके पास कोयले की अनलोडिंग के लिए ट्रैक पट्टियों पर वैगनों की ट्यूबिंग हेतु रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए लोको को ही लगाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

निगम ने एमटीपीएस इकाईयों # 1 से 6 के संबंध में लोडिंग बिन्दुओं पर कोयले की लोडिंग और अनलोडिंग बिन्दुओं पर अनलोडिंग के पर्यवेक्षण सहित विभिन्न सेवाओं के लिए एक ठेकेदार से साथ करार किया (जून 2009)। ठेके का मूल्य एक वर्ष की अवधि हेतु ₹ 20.88 करोड़ इस शर्त के साथ था कि इसे और एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठेके के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार को लोडिंग बिन्दुओं पर बाहरी सामानों, बोल्डर्स और पतले मसालों आदि के बिना निश्चित आकार (200 मिमी. से नीचे) की लोडिंग सुनिश्चित करना था। यह भी प्रावधान था कि कोयले की अनलोडिंग में देरी के कारण रेलवे को देय विलम्ब शुल्क की वसूली भी ठेकेदार से की जानी थी। हालांकि रैकों की अनलोडिंग में ऐसी देरी के लिए ठेकेदार से रेलवे द्वारा वसूले गए ईडीसी की वसूली के प्रति करार में कोई प्रावधान नहीं था। निगम ने जून 2009 से जनवरी 2014 की अवधि के दौरान ₹ 35.31 करोड़ राशि का ईडीसी का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि ₹ 24.25 करोड़ की ईडीसी पत्थर/बोल्डरों, बड़े आकार के कोयले और पतले मसालों वाले कोयले की अनलोडिंग में देरी के कारण था जिसे लोडिंग के समय ठेकेदार का कम निष्पादन माना गया था। चूंकि करार में कोई प्रावधान नहीं था इसलिए निगम ठेकेदार से इसकी वसूली नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि उपरोक्त ठेका करते समय प्रबंधन ने निगम के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं देखा क्योंकि कोयले की अनलोडिंग में देरी के लिए ठेकेदार से ईडीसी वसूल करने के लिए करार में कोई खण्ड नहीं था। यह भी देखा गया कि उपरोक्त ठेके को समय-समय पर

बढ़ाया गया था लेकिन निगम ने ठेकेदार से ईडीसी की वसूली के प्रति उपयुक्त खण्ड शामिल करने पर विचार नहीं किया।

निगम ने अपने उत्तर (जुलाई 2014) में तर्क दिया कि ईडीसी वास्तव में इंजन किराया प्रभार था और इसे मालभाड़े में शामिल किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि इसे उपभोक्ताओं से वसूल किया जाना था और इसलिए ईडीसी के लिए निगम को कोई हानि नहीं थी।

यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ईडीसी निर्धारित मुक्त समय-सीमा के बाद लोकों के अवरोधन हेतु रेलवे को देय था जबकि इंजन किराया प्रभार रेलवे वैगनों के माध्यम से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक परिवहन किए गए सामानों के लिए देय है। इसके अलावा ईडीसी और विलम्ब शुल्क प्रभार रेलवे द्वारा मालभाड़ा बिल के अलावा अलग-अलग लगाए गए थे। उनका अगला तर्क ईडीसी उपभोक्ताओं से वसूलीयोग्य था, भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ईडीसी, सीईआरसी द्वारा निर्धारित बिजली प्रभारों का भाग नहीं था और इसलिए यह निगम से लिया जाना था।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2014) कि ठेके की शर्तों में ईडीसी की वसूली का प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि इसे बोलीदाताओं के उद्भूत मूल्यों में बढ़ाया गया होता और कुल ठेका मूल्य बढ़ जाता और तब कोई भी ऐसी अपरिहार्य लागत वहन नहीं करता। आगे यह बताया गया कि बढ़े हुए दर पर मुक्त समय (अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले/आयातित कोयले की अनलोडिंग) के बाद इंजन अवरोधन का भुगतान न करने के मामले में तब भी आलोचना की जाती।

मंत्रालय की उपर्युक्त दलील कि ईडीसी की वसूली के किसी प्रावधान से बोलीदाताओं का उद्भूत मूल्य बढ़ जाता, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से काल्पनिक है और आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित नहीं है। जो ठेकेदार द्वारा प्रयोग किया जा सकता था। यह भी नोट करना प्रासंगिक है कि ठेकेदार को ईडीटी से बचने के लिए कोई और कार्य नहीं करना था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा आपत्ति न केवल पूरे ईडीसी से संबंधित है बल्कि ईडीसी की घटना पर जिसे विलम्ब शुल्क की वसूली जैसी ठेकेदारों की विफलता के कारण व्यय किया गया था। इस प्रकार, करार में उपयुक्त खण्ड के अभाव में निगम के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं की गई थी। यह तथ्य कि मंत्रालय ने बताया कि ठेकेदारों के कार्यक्षेत्र के तहत ईडीसी के समावेश की अगले ठेके के कार्य के कार्यक्षेत्र के निर्धारण के दौरान समीक्षा की जाएगी, भी एक तर्कपूर्ण स्वीकार्यता है कि ठेकेदार के साथ करार में खामियाँ थीं।

इस प्रकार ठेका करार में एक उपयुक्त प्रावधान के अभाव के कारण निगम को ठेकेदार के कम-निष्पादन से होने वाले ईडीसी के प्रति ₹ 24.25 करोड़ की वसूली के अवसर की हानि हुई।

4.3 अतिरिक्त यूआई प्रभारों के प्रति परिहार्य व्यय

निगम द्वारा ग्रिड अनुरक्षण अनुशासन हेतु आईजीसी विनियमों का पालन न करने के कारण अतिरिक्त गैर-अनुसूचित अंतरण प्रभारों के प्रति ₹ 16.21 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 (आईजीसी विनियम) के प्रणाली सुरक्षा पहलुओं के अनुसार, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) यह सुनिश्चित करने हेतु सभी संभव कदम उठाएगा कि ग्रिड आवृत्ति हमेशा 49.5 से 50.2 हर्ट्स बैंड के भीतर बनी रहे। उपरोक्त विनियम के उद्देश्य से निगम के सेंट्रल लोड डिस्पैच, मैथल (सीएलडी) को एसएलडीसी का कार्य करना है तथा इसके अपने सृजन की अनुसूचीकरण/प्रेषण की पूरी जिम्मेदारी होगी। सीएलडी के ग्रिड से अपनी कमांड क्षेत्र की बिजली लेने पर प्रतिबंध लगाने हेतु भी कार्रवाई करनी चाहिए जब प्रणाली की आवृत्ति 49.7 हर्ट्स से कम हो जाए। यह भी प्रावधान था कि यदि ग्रिड की आवृत्ति 49.5 हर्ट्स या उससे कम हो तो निगम के सीएलडी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपेक्षित लोड धेरा इसके अपने कमांड क्षेत्र में हो ताकि अधिक बिजली नहीं ली जा सके। सीईआरसी विनियम¹ में प्रावधान था कि ग्रिड आवृत्ति 49.5 हर्ट्स से कम होने पर कम बिजली लेने अथवा अधिक बिजली लेने पर लागू यूआई प्रभारों² से अधिक लागू विनिर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त गैर-निर्धारित अंतरण (यूआई) प्रभार लागू होगा।

लेखापरीक्षा न देखा कि अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान निगम ने कई बार अधिक बिजली लिया जब ग्रिड की आवृत्ति 49.5 या उससे नीचे थी, जिसके लिए इसे अतिरिक्त यूआई प्रभारों के प्रति ₹ 16.21 करोड़ का भुगतान करना था। इससे पता चला कि निगम के सीएलडी ने अपने कमांड क्षेत्र में बिजली लेने पर प्रतिबंध लगाने हेतु उचित कार्रवाई नहीं की जबकि ग्रिड की आवृत्ति 49.7 हर्ट्स पहुँच गई थी और सीईआरसी द्वारा

¹ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (गैर-निर्धारित अंतरण प्रभार और संबंधित मामला संशोधन) विनियम 2010, दिनांक 28.04.2010

² यूआई प्रभार ग्रिड अनुशासन बनाए रखने का एक वाणिज्यिक तंत्र है। यूआई प्रभार इस आधार पर देय है कि ऊर्जा सृजकों/वितरकों द्वारा दिए गए निर्धारित आहरण से कितना विचलन हुआ और उस समय पर ग्रिड की स्थिति के विषयगत भी होगा।

निर्धारित अपेक्षित लोड क्षमता भी नहीं बनाए रख सकी जबकि आवृत्ति 49.5 हर्ट्स या उससे नीचे तक गिर गई।

मंत्रालय ने अतिरिक्त यूआई प्रभारों के भुगतान का तथ्य स्वीकार करते हुए बताया (जून 2014) कि यादचिक लोड घेरा केवल एक सीमित लोड की मात्रा में किया जा सकता है। मंत्रालय ने प्रबंधन के मत का समर्थन करते हुए आगे बताया (अक्टूबर 2014) कि निगम अनिवार्य सेवायें प्रदान करने वाले कुछ कोर क्षेत्रों को बिजली की आपूर्ति करता रहा है और इसकी जटिलता के कारण लोड घेरा का सहारा नहीं लिया गया था।

प्रबंधन और मंत्रालय के उपरोक्त कथन को ग्रिड अनुशासन बनाए रखने के संदर्भ में देखा जा सकता है। बिजली लेना जब ग्रिड की आवृत्ति 49.5 हर्ट्स अथवा उससे नीचे हो, एक गंभीर अनुशासनहीनता है। ऐसे कार्यों से ग्रिड स्थायित्व को खतरे में डालने के अलावा अतिरिक्त यूआई प्रभारों के माध्यम से ₹ 16.21 करोड़ का अत्यधिक व्यय भी करना पड़ा।

पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

4.4 गलत निर्धारण और ठेका एक वित्तीय रूप से कमज़ोर फर्म के संयुक्त उद्यमों को ठेका देना

पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने आंतरिक मूल्यांकन समिति द्वारा अपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर एक कमज़ोर फर्म के संयुक्त उद्यमों को फरवरी 2010 और जुलाई 2010 के बीच ₹ 927.69 करोड़ का सात ठेके देने के कारण लागत बढ़ गई और कार्य समापन में देरी हुई तथा ट्रांसमिशन बाधाएं आई।

पीजीसीआईएल ने फरवरी से जुलाई 2010 के दौरान एसपीआईसी-एसएमओ¹, सर्दर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड (एसपीआईसी), चेन्नई के एक डिवीजन द्वारा चलाई जा रही तीन संयुक्त उद्यमों (जेवी²) को ₹ 927.69 करोड़ मूल्य के सात टावर के ठेके दिए।

एसपीआईसी-एसएमओ और सुजाना के संयुक्त उद्यम को सासन तथा मुंद्रा यूएमपीपीज के लिए प्रणाली मजबूतीकरण योजना से जुड़े टावर टीडब्ल्यू-03 हेतु पहला ठेका देने से प्रबंधन की सिफारिश कि ठेके के निष्पादन हेतु बोलीदाता के पास अपेक्षित क्षमता थी

¹ (i) एसपीआईसी-एसएमओ एण्ड सुजाना का जेवी (ii) एसपीआईसी-एसएमओ तथा (iii) एसपीआईसी-एसएमओ बीएस ट्रांसकाम का जेवी

² सर्दर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड (एसपीआईसी), चेन्नई का अनुरक्षण संगठन डिवीजन

और दक्षता थी, के आधार पर एसपीआईसी-एसएमओ (एल1 बोलीदाता) को पीजीसीआईएएल के निदेशक मंडल (बोर्ड) द्वारा ₹ 99.34 की मंजूरी दी गई (दिसम्बर 2009)।

तत्पश्चात् जनवरी 2010 में एसपीआईसी-एसएमओ द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त उद्यम को उत्तरी ग्रिड के केंद्रीय भाग से जुड़े टावर ए2 और ए8 के लिए दो और ठेकों की मंजूरी देते समय बोर्ड ने देखा कि यद्यपि मै. एसपीआईसी न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार (एमएएटी) तथा चल परिसंपत्तियों की बोली मूल्यांकन मापदण्ड को पूरा करती थी, और ठेके देने से पूर्व उसकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए एसपीआईसी का मूल्यांकन किया जाना चाहिए था। तदनुसार, एसपीआईसी की विश्लेषण के साथ एसपीआईसी-एसएमओ का मूल्यांकन करने के लिए 27 जनवरी 2010 को पीजीसीआईएल द्वारा एक आंतरिक मूल्यांकन समिति^{*} का गठन किया गया था।

मूल्यांकन समिति ने जनवरी 2010 में चेन्नई में एसपीआईसी में चेन्नई के कार्यालय का दौरा करने के पश्चात बताया (फरवरी 2010) कि 2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान एसपीआईसी के उर्वरक कारोबार में काफी हानियों के बावजूद उनका शुद्ध संपत्ति सकारात्मक थी। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि एसपीआईसी की शुद्ध संपत्ति की गणना करते समय मूल्यांकन समिति ने न केवल एसपीआईसी की समेकित हानियों को नजरअंदाज कर दिया था जैसा कि संबंधित अवधि के लिए उनके वित्तीय विवरण में दर्शाया गया था, बल्कि एसपीआईसी के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की योग्यता के प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया गया था। यदि समेकित हानियों और सांविधिक लेखापरीक्षकों की योग्यता के प्रभाव पर ध्यान दिया जाता तो एसपीआईसी की शुद्ध संपत्ति ‘नकारात्मक’ होती जैसा कि मूल्यांकन समिति द्वारा बताए गए ‘सकारात्मक’ के प्रति नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2008-09	मार्च 2008 को समाप्त वर्ष (18 माह)	सितम्बर 2006 को समाप्त वर्ष (18 माह)	2004-05
1	शेयर पैंजी	120.45	120.45	120.45	100.55
2	आरक्षित	237.71	237.71	237.71	101.45
3	समेकित लाभ (हानी)	(1755.21) ^{\$}	(880.32) [^]	(219.22)*	(325.51)
4	शुद्ध संपत्ति (1+2-3)	(1397.06)	(522.16)	138.94	123.51

* वित्त, इंजीनियरिंग और पीजीसीआईएल के ठेका सेवा विभाग के प्रतिनिधि शामिल करते हुए।

* सांविधिक लेखापरीक्षक की योग्यता को ध्यान में रखने के पश्चात उस अवधि के लिए उसकी रिपोर्ट के पैरा 5 (ix) के तहत ₹ 44.13 करोड़ की राशि। वर्ष के दौरान समेकित हानि ₹ 533.79 करोड़ को पुनःमूल्यांकन आरक्षित के प्रति समायोजित कद दिया गया था।

^ सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 5 (vii) ए एवं बी के अनुसार

§ सांविधिक लेखापरीक्षक की प्रभावी योग्यता लेने पर उनकी रिपोर्ट के पैरा 4 (vii) ए एवं बी के तहत

यह बताते हुए कि एसपीआईसी पिछले दो से तीन वर्षों में संतोषजनक वित्तीय स्थिति हुए थी, मूल्यांकन समिति ने देखा कि एसपीआईसी की वित्तीय स्थिति का इसके एसएमओ डिवीजन के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो जेवी व्यवस्था के तहत ट्रांसमिशन लाइनों को खड़ा करते हुए उत्तरदायी था। टावर पैकेजों के लिए पहले ही दिए गए तीन ठेकों के अतिरिक्त मूल्यांकन समिति ने यह कहते हुए एसपीआईसी-एसएमओ द्वारा चलाई जा रही जेवी को डी1, डी2, ए1 और ए3 टावरों हेतु चार ठेके देने की सिफारिश की कि एसपीआईसी के एसएमओ डिवीजन द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य के कार्यक्षेत्र का वार्षिक मूल्य 2009 के दौरान उनके ₹ 125 करोड़ के कारोबार का लगभग 1.5 गुना था। मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों पर विचार करते हुए बोर्ड ने एसपीआईसी द्वारा चलाई जा रही जेवी को ₹ 625.76 करोड़ के चार और टावर के ठेके देने की मंजूरी दी (फरवरी से जुलाई 2010)।

हालांकि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि एसपीआईसी द्वारा चलाई जा रही जेवी को सात पैकेजों का ठेका देने से ठीक पहले निगम ऋण पुनर्गठन तंत्र* के तहत एसपीआईसी के ऋण का पुनर्गठन किया गया था और अक्टूबर 2009 में एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा एसपीआईसी के ‘पुनःकार्य पैकेज’ की मंजूरी दी गई थी। ‘पुनःकार्य पैकेज’ में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान था कि एसपीआईसी को 31 मार्च 2011 तक या उससे पूर्व अपना एसएमओ डिवीजन बेचना था। इस प्रकार, जब मूल्यांकन समिति ने जनवरी 2010 में एसपीआईसी कार्यालय का दौरा किया था, एसपीआईसी को ‘पुनःकार्य पैकेज’ के अनुसार अपना एसएमओ डिवीजन बेचना था। मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट में एसपीआईसी की पुनर्गठन योजना के अनुमोदन का उल्लेख था किन्तु एसपीआईसी-एसएमओ की बिक्री से संबंधित किसी और विवरण पर कुल नहीं कहा गया। एसपीआईसी-एसएमओ को सितम्बर 2011 में मै. मिराडोर कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (एमसीपीएल) को बेच दिया गया। इस प्रकार परियाजनाओं के निष्पादन की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान एसएमओ डिवीजन के स्वामित्व/प्रबंधन में

* निगम के ऋण पुनर्गठन या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए सीडीआर को सभी समस्याओं के लाभ हेतु समस्या से जूँझ रही व्यवहार्य निकायों के निगम ऋण के पुनर्गठन हेतु समय पर और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करना था।

बदलाव से होने वाली अनिश्चितताओं को मूल्यांकन समिति द्वारा बोर्ड के संज्ञान में नहीं लाया गया और फलस्वरूप बोर्ड ने सूचित निर्णय लेने का अवसर खो दिया। मै. एसपीआईसी द्वारा अपर्याप्त संसाधन संग्रह और कमज़ोर वित्तीय स्थिति ठेकाओं के निष्पादन में देरी का एक प्रमुख कारण था क्योंकि एसपीआईसी के संसाधन पीजीसीआईएल द्वारा कार्य की वांछित दर प्राप्त करने हेतु अपर्याप्त अत्यधिक भारयुक्त पाया गया। एमसीपीएल द्वारा अगस्त 2011 से एसपीआईसी के एसएमओ डिवीजन का कार्यभार लेने के बाद भी उपरोक्त ठेके के लिए संसाधनों की तैनाती में ढीलेपन के कारण समाप्त हो गया और देरी हुई। सात में से चार ठेके 22 से 30 महीनों की देरी से पूरे हुए तथा तीन ठेके 23 से 28 महीनों की देरी के बावजूद भी अभी तक निष्पादन के अध्यधीन हैं (मार्च 2015)। चार पूर्ण ठेकों में से ₹ 41.79 करोड़ की उपार्जित हानियों को ठेकेदार से उनकी ओर से किए गए विलम्ब के कारण उनसे वसूले जाने थे जबकि बाकी तीन ठेकों के संबंध में उपार्जित हानियों की वसूली पर पीजीसीआईएल का निर्णय प्रतीक्षित था (मार्च 2015)। निष्पादन के तहत एक ठेके को ठेकेदार की घटिया निष्पादन के कारण मई 2014 में पीजीसीआईएल द्वारा समाप्त कर दिया जाना था और अभी फिर से दिया जाना था (दिसम्बर 2014) जिससे और अधिक देरी होगी।

उपरोक्त ठेकों के तहत ट्रांसमिशन लाइनों की समाप्ति में देरी के कारण न केवल ₹ 53.50 करोड़ तक लागत बढ़ गई बल्कि ट्रांसमिशन प्रणालियों में भी बाधा आई। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि तलवंडी साबू और राजपुरा थर्मल पावर स्टेशन को मार्च 2014 में सिंक्रोनाइज किया गया था लेकिन संबंधित लाइनों को टावर ए1 और ए3 से क्रमशः मई 2014 और अगस्त 2014 में ही जोड़ा गया था और शुरू किया गया था। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर ने अन्य बातों के साथ-साथ तलवंडी साबू और राजपुरा थर्मल पावर स्टेशन से बिजली निकालने में बाधा देखी गई (अप्रैल 2014)। टावर ठेके डी1 और डी2 से जुड़ी 400केवी की वर्धा औरंगाबाद ट्रांसमिशन लाइनों के चालू न होने के कारण वर्धा पर्ली और वर्धा अकोला ट्रांसमिशन लाइनों में कई गडबड़ियाँ देखी गईं।

पीजीसीआईएल ने बताया (मार्च 2013/मार्च 2015) कि (i) ठेके मै. एसपीआईसी-एसएमओ के जेवी और अन्य टावर विनिर्माताओं को दिए गए थे। वित्तीय संदर्भ में मै. एसपीआईसी-एसएमओ और टावर विनिर्माताओं की जिम्मेदारी का अनुपात 45 प्रतिशत और 55 प्रतिशत था (ii) यद्यपि मूल्यांकन के समय एसपीआईसी का वित्तीय निष्पादन उतना उत्साहजनक नहीं था, इसकी एसएमओ डिवीजन का निष्पादन संतोषजनक था और यह महत्वपूर्ण सहारा था (iii) मूल्यांकन समिति द्वारा बताए गए तथ्यों पर

पीजीसीआईएल के बोर्ड द्वारा जेवी और एसपीआईसी के पक्ष में ठेका देने की मंजूरी से पूर्व विचारविमर्श किया गया था और (iv) एसपीआईसी द्वारा एसपीआईसी के एसएमओ डिवीजन की बिक्री का विवरण मूल्यांकन समिति के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

उत्तर को इन तथ्यों के प्रति देखा जाए कि (i) जटिल और विशेष प्रकृति के कार्य अर्थात् टावर खड़ा करने तथा तार खीचने के लिए मै. एसपीआईसी-एएमओ, जेवी का प्रमुख उत्तरदायी साझीदार था इसके अलावा, उसकी शुद्ध संपत्ति में गिरावट और नकारात्मक प्रवृत्ति को देखते हुए एसपीआईसी को वित्तीय रूप में 45 प्रतिशत की वित्तीय जिम्मेदारी देना कम-निष्पादन के खतरे से खाली नहीं था; (ii) बोर्ड के जनवरी 2010 के निर्णय के अनुसार, मूल्यांकन समिति को मै. एसपीआईसी की वित्तीय स्थिति का समेकित मूल्यांकन करना था और अलग से एसएमओ डिवीजन के निष्पादन को देखना उचित नहीं था, (iii) बोर्ड का निर्णय मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के आधार पर था जिसमें एसपीआईसी की निवल संपत्ति की गलत जानकारी दी गई और परियोजनाओं के निष्पादन की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान नए मालिक को एसएमओ डिवीजन बेचने की अद्यतित स्थित नहीं बताई गई, और (iv) एसपीआईसी पुनर्गठन की मौजूदा स्थिति को जानते हुए यह पीजीसीआईएल के हित में था कि वह एसपीआईसी से प्राप्त जानकारी पर ही यकीन के बजाए स्वतंत्र स्रोतों से एसपीआईसी के पुनर्गठन की मौजूदा स्थिति को स्वयं जाने।

मंत्रालय ने बताया (मई 2014) कि मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट में एसपीआईसी के सकारात्मक शुद्ध संपत्ति के संबंध में उल्लेख असावधानीपूर्ण था और इसने वित्तीय निष्कर्ष को प्रभावित नहीं किया होगा क्योंकि नकारात्मक संपत्ति वाली कंपनियों को भी ठेके दिए गए थे। हालांकि मंत्रालय ने माना कि एसपीआईसी-एसएमओ के स्वामित्व में परिवर्तन और एमसीपीएल की अनिच्छा से कार्य के निष्पादन में देरी हुई। मंत्रालय ने आगे बताया कि पीजीसीआईएल ने प्रणालीगत सुधार किया था और पीजीसीआईएल ठेकों में ठेकेदार के निष्पादन के आधार पर कार्यकारी निदेशक स्तर पर स्थायी समिति द्वारा बोलीदाताओं की क्षमता का मूल्यांकन शुरू किया गया था।

तथ्य यह है कि बोर्ड का निर्णय मूल्यांकन समिति की पक्ष में सिफारिशों के आधार पर था जिसमें एसपीआईसी की वास्तविक वित्तीय स्थिति को कम और एसपीआईसी एसएमओ की बिक्री के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छुपाने पर था।

इस प्रकार मूल्यांकन समिति द्वारा बोर्ड को गलत और अपूर्ण जानकारी देने के कारण वित्तीय रूप से कमजोर फर्म द्वारा चलाई जा रही जेवी को ठेके देने के परिणामस्वरूप लागत बढ़ गई और ट्रांसमिशन गड़बड़ियों के साथ दिए गए कार्य के समान में देरी हुई।

रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड

4.5 आरजीजीवीवाई के तहत सॉफ्ट लोन के वितरण के कारण ब्याज की हानि

आरईसी को दिसम्बर 2014 तक ₹ 153.36 करोड़ की हानि हुई क्योंकि इसने आरजीजीवीवाई के तहत सॉफ्ट लोन देने पर भिन्नता वाले ब्याज की क्षतिपूर्ति हेतु एमओपी से संपर्क नहीं किया।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) ने राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को अधिसूचित किया (18 मार्च 2005) और इस योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी) को नियुक्त किया।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत आसान ऋण प्रदान करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा कोई विशेष शर्त निर्धारित नहीं की गई थी। हालांकि आरजीजीवीवाई को आरंभ करते समय, अन्य विषयों के साथ-साथ विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी विवरणिका में यह शामिल किया गया कि 'आरईसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु एक मुख्य एजेंसी के रूप में स्थापित की गई है। 'कार्यक्रम के लिए सभी निधियां आरईसी द्वारा चैनलाईज की जाएगी जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई पूँजीगत सब्सिडी के अतिरिक्त आसान शर्तों पर ऋण सहायता के रूप में शेष निधियां प्रदान करेगी'।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत दिये जाने वाले आसान ऋणों पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज की दर पर आगे के निर्देशों के लिए विद्युत मंत्रालय को आग्रह करने और आरजीजीवीवाई के अंतर्गत आसान ऋणों पर सामान्य उधार दर और प्रभारित ब्याज की दर के बीच महत्वपूर्ण ब्याज दर अंतर बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय को अनुमोदन करने की अपेक्षा, 8 प्रतिशत की दर प्राप्त करने की अपेक्षा ब्याज राज्य सरकारों को 5 प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी उपर्युक्त विवरणिका के आधार पर, अपने निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठक (30 अगस्त 2005) में स्वयं यह निर्णय लिया। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत ब्याज की रियायती दर प्रभारित करने का निर्णय लेते समय कोई लागत और प्रभाव विश्लेषण नहीं किया गया।

7 सितम्बर 2007 को बोर्ड द्वारा दोबारा आसान ऋणों के मामले पर विचार-विमर्श किया गया और आरजीजीवीवाई के अंतर्गत ऋणों की बढ़ी हुई लागत के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया कि आरजीजीवीवाई के अंतर्गत उधार दरों को उद्धर्यगामी परिशोधन आवश्यक

है और टी और डी योजनाओं के अंतर्गत आरईसी द्वारा प्रभारित किये जा रहे केवल 50 आधारभूत बिंदुओं तक आसान रखा जाना चाहिए।

दिसम्बर 2014 तक, समय-समय पर आरईसी ऋणों पर लागू सामान्य दरों पर लागू दरों की अपेक्षा कम दरों पर प्रभारित ब्याज के संबंध में आरईसी को ₹ 153.36 करोड़* की हानि उठानी पड़ी। ब्याज की हानि आरजीजीवीवाई ऋण के बकाया शेषों के पुनर्भुगतान और आगामी आसान ऋण के वितरण/पुनर्भुगतान तक आगे भी बढ़ती रहेगी यदि कोई है तो। आरईसी, एक अलग सूचीबद्ध वाणिज्यिक सत्व होने के कारण विद्युत मंत्रालय के साथ आरजीजीवीवाई के अंतर्गत आसान ऋणों पर विभिन्न ब्याज लागत की प्रतिपूर्ति का मामला लिया जाना चाहिए था।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2014) कि:

- 'एक लाख गांवों और एक करोड़ घरों के त्वरित विद्युतीकरण' योजना जिसे आरजीजीवीवाई के साथ बाद में जोड़ दिया गया था, के अंतर्गत दिये गये ऋण पर प्रभारित की जा रही ब्याज की दर 5 प्रतिशत थी। आरईसी ने 9 सितम्बर 2007 तक तीन वर्षों हेतु केवल 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर ₹ 557 करोड़ निर्मुक्त किये। इसके बाद, टी और डी योजनाओं हेतु प्रचलित उधार दर की अपेक्षा केवल 0.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम पर ऋण निर्मुक्त किये गये। ब्याज की प्रचलित वर्तमान दरों की अपेक्षा 0.5 प्रतिशत कम की परिवर्तित ब्याज दर उधार की लागत के साथ-साथ आरईसी हेतु उपयुक्त वृद्धि को समुचित मात्रा में कवर किया था।
- आरजीजीवीवाई का ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण का सामाजिक उद्देश्य है और आरजीजीवीवाई की आरईसी एक भारत सरकार उधम है और आरजीजीवीवाई की एक प्रमुख एजेंसी भी है। इसके अतिरिक्त, सभी आरजीजीवीवाई ऋण राज्य सरकार को संस्थीकृत हैं और न कि उपादेयताओं को। इन ऋणों के मुख्य लाभोक्ता बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, झारखण्ड आदि राज्य हैं और इन राज्यों में

* आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वितरित ऋणों के समय आरईसी के ब्याज (8 प्रतिशत से 10.90 प्रतिशत) की प्रचलित दर और प्राप्त ₹ 93.88 करोड़ की हानि और 31 जनवरी 2005 से 8 अगस्त 2007 के बीच आरजीजीवीवाई ऋणों पर प्रभारित की गई 5 प्रतिशत की दर के बीच अंतर के आधार पर 27 सितम्बर 2007 से 31 दिसम्बर 2014 के बीच वितरित ऋणों पर टीएंडडी योजनाओं के अंतर्गत ब्याज की दर की अपेक्षा 50 बेसिस बिंदुओं तक आसान ब्याज दर को प्रभारित किये जाने के कारण प्राप्त ₹59.48 करोड़

विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति बुरी हालत में है क्योंकि ये राज्य वित्त की कमी के कारण आधारभूत संरचना विकसित करने में सक्षम नहीं हैं।

- सरकार कम दर पर धारा 54 ईसी पूँजीगत लाभ कर छूट बांड और धारा 88 आधारभूत संरचना बॉडं द्वारा निधियां इकट्ठे करने के लिए अनुमोदन देते हुए आरईसी को सहयोग कर रही है।

प्रबंधन का उत्तर तथ्यों के प्रति वृष्टिगत करना है कि

- आरजीजीवीवाई के अंतर्गत किसी प्रभाव विश्लेषण के बिना पूर्व योजना के अंतर्गत 5 प्रतिशत की ब्याज दर की स्वीकृति तर्क संगत नहीं थी। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बढ़ाये गये आसान ऋणों के संबंध में हानि को झेलने के लिए आरईसी को निर्देश नहीं दिये थे। 10 सितम्बर 2007 से आरजीजीवीवाई ऋणों पर ब्याज दर की वृद्धि के बाद भी, आरईसी को लगभग ₹ 59.48 करोड़ की हानि हुई।
- आरईसी ने पुष्टि की कि उस समय सीएसआर अवधारणा के अभाव में वे सीएसआर व्यय के रूप में आसान ऋणों की अंतरीय लागत का दावा करने के योग्य नहीं थे। इसलिए, आरईसी के लिए यह अपेक्षित था कि आसान ऋणों के वितरण से पहले वह अपने वाणिज्यिक हितों को सुरक्षित कर ले।
- धारा 54ईसी पूँजीगत लाभ कर छूट बॉडों का लाभ आरजीजीवीवाई के आरंभ करने से पूर्व भी आरईसी को उपलब्ध था और विद्युत मंत्रालय ने आरजीजीवीवाई के अंतर्गत आरईसी द्वारा आहरित किए जाने वाले आसान ऋण के लिए एक क्षतिपूर्ति के रूप में आरईसी को सस्ती निधियां इकट्ठा करने के लिए साधन उपलब्ध नहीं करवाये।

इस प्रकार, दिसम्बर 2014 तक आरईसी को ₹ 153.36 करोड़ की हानि हुई क्योंकि इसने आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बढ़ाये गये आसान ऋणों पर अंतरीय ब्याज की क्षतिपूर्ति के लिए विद्युत मंत्रालय को आग्रह नहीं किया। हानि आगे बढ़ जायेगी जब तक कि मौजूदा ऋण की पूर्णतः पुनर्भवायी नहीं की जाने के साथ-साथ भविष्य में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत आसान ऋण वितरण पर भी आधारित होगी, यदि कोई है तो।

दिसम्बर 2014 में यह मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।